

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 1741
(जिसका उत्तर मंगलवार, 9 दिसम्बर, 2014 को दिया गया)

संदेहास्पद कंपनियों द्वारा निवेशकों को ठगा जाना

1741. श्री ए. यू. सिंह दिव :

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार के पास उन संदेहास्पद कंपनियों का अभिलेख है जिन्होंने निवेशकों को धोखा दिया है, ऐसे निवेशकों की संख्या कितनी है जिनके सथ छल करके इन कंपनियों में निवेश करवाया गया है और निवेशकों द्वारा इन कंपनियों में अनुमानित कितनी पूंजी का निवेश किया गया है;
- (ख) ऐसी कंपनियों की संख्या एवं ब्यौरा क्या है जिन्हें पकड़ा गया है और दंडित किया गया है;
- (ग) दाण्डिक कार्रवाई और इसके लिए किए गए वर्तमान विनियमन का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ऐसे धोखाधड़ियों में कमी लाने, सजा प्रावधानों को और कड़ा करने तथा निवेशकों की सुरक्षा हेतु कोई प्रयास कर रही है; और
- (ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री
जेटली)

(श्री अरुण

(क) : ऐसी कुल 238 कंपनियां हैं जिन्होंने पब्लिक इश्यू के माध्यम से धनराशि जुटाई थी और जिन्हें प्रारंभ में “गायब कंपनियों” के रूप में पहचाना गया क्योंकि उन्होंने नियामकों के पास दस्तावेज/तुलन पत्र दाखिल करना बंद कर दिया गया था और गायब थीं। इनमें से 128 कंपनियों को इस श्रेणी से हटाकर एक “निगरानी सूची” के अंतर्गत रखा गया क्योंकि इन कंपनियों ने अपने दस्तावेज/तुलन पत्र दाखिल करना शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त, फिलहाल 32 कंपनियां समापनाधीन हैं। इस प्रकार अब “गायब कंपनियों” की सूची में 78 कंपनियां शेष हैं। इन 78 कंपनियों द्वारा पब्लिक इश्यू के माध्यम से उगाही गई राशि 310.21 करोड़ रुपए (लगभग) थी।

(ख) : (1) ऐसी 78 कंपनियों और उनके निदेशकों के विरुद्ध और उनका पता लगाने तथा भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत उनके विरुद्ध मामले दायर करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई हैं।

(2) इन कंपनियों और इनके प्रवर्तकों/निदेशकों के विरुद्ध कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 162 और 220 के अंतर्गत सांविधिक रिटर्न दाखिल न करने तथा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 62/63, 68

....2/-

-2-

तथा 628 के अंतर्गत विवरणिका में गलत विवरण देने/धनराशि निवेश करने के लिए छल से उकसाने/प्रस्ताव दस्तावेजों में गलत विवरण देने आदि के लिए अभियोग दायर किए गए हैं।

(ग): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447 में धोखाधड़ी के लिए दंड का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, अन्य संबंधित उपबंधों में चूक के लिए शास्ति प्रावधान हैं। अधिनियम में जहां अलग से किसी शास्ति अथवा दंड का प्रावधान नहीं है, उन मामलों के लिए धारा 450 में दंड की व्यवस्था है।

(घ) और (ङ.): गायब कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी सहित अन्य धोखाधड़ी से निवेशकों को बचाने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। निम्नलिखित की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया जाता है:-

- (i) वर्तमान अथवा संभावित प्रत्येक निदेशक के लिए एक "निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)" प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति के विवरण की विस्तृत जांच और एक फोटोग्राफ, पहचान प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र आदि अपेक्षित है ताकि निदेशकों का पता सुनिश्चित किया जा सके। अतः डिन की अपेक्षा से व्यक्तियों द्वारा अपनी पहचान छुपाकर या गलत बताकर निवेशकों से छल करने के उद्देश्य से संदेहास्पद कंपनियां चलाना कठिन हो गया है;
- (ii) किसी नई कंपनी का निगमन अथवा मौजूदा कंपनी के पते में परिवर्तन के मामले में मंत्रालय ने व्यवसायिकों के लिए कंपनी के ब्यौरे सत्यापित करना और उनके परिसरों का व्यक्तिगत रूप से दौरा करना तथा यह प्रमाणित करना कि कंपनी उस परिसर से कार्य कर रही है, अनिवार्य कर दिया है। ऐसे मामलों में निगमन अथवा पंजीकृत कार्यालय पते में परिवर्तन के समय पंजीकृत पते का प्रमाण देना भी अनिवार्य कर दिया गया है;

- (iii) कंपनी रजिस्ट्रारों को भी यह निर्देश जारी किए गए हैं कि वे ऐसी कंपनी के तुलन पत्र और अन्य रिकार्डों की जांच करें जो पब्लिक इश्यू के माध्यम से धनराशि जुटा रही हैं और ऐसी धनराशि के उपयोग की मॉनिटरिंग करें।
- (iv) मंत्रालय ने निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जानकारी देने के उद्देश्य से पूर्व सक्रिय उपाय भी किए हैं। इन कार्यक्रमों का आयोजन विभिन्न शहरों में तीन व्यवसायिक संस्थानों - भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई), भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) के सहयोग से नियमित रूप से किया जाता है। 2012-13 से कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत संस्था सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, के माध्यम से ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन शुरू कर दिया है। 2013-14 के दौरान ऐसे 2897 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
